भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1343

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 08 दिसंबर, 2025

17 अग्रहायण,1947 (शक)

पुजारियों और मौलवियों को वेतन और भत्ता

1343. **श्री अनिल यशवंत देसाई:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मंदिर के पुजारियों को सरकार द्वारा वेतन और भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केंद्र सरकार तथा/अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी मंदिर के पुजारी/किसी मस्जिद के मौलवी अथवा किसी चर्च के पादरी को कोई वेतन आदि दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) के संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है जिनमें कुछ मंदिर भी शामिल हैं। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन मंदिरों के पुजारियों को कोई वेतन अथवा भत्ता नहीं दिया जाता है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किसी भी मंदिर के पुजारियों/मस्जिद के मौलवी अथवा चर्च के पुजारी को ऐसा कोई वेतन आदि प्रदान नहीं किया जाता है।

*****